अनुबंध - II

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949

फॉर्म VIII

(नियम 13ए)

(धारा 18 तथा 24)

बैंकिंग कंपनी का नाम :

विवरणी प्रस्तुत करनेवाले
अधिकारी का नाम तथा पदनाम :

. . . . . के माह के लिए भारत में मांग तथा मीयादी देयताएं तथा भारत में नकद, स्वर्ण तथा भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखी गयी राशि का विवरण :

(संबंधित महीने की समाप्ति के बाद अधिकतम 20 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए)

(निकटतम हजार रुपयों तक पूर्णांकित)

	निम्नलिखित को कारोबार बंद होने के बाद		
	पहला एकांतर शुक्रवार @	दूसरा एकांतर शुक्रवार @	तीसरा एकांतर शुक्रवार@
भाग - क 1. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अपने प्रायोजक बैंक से लिया गया कोई भी ऋण शामिल है ।) (क) मांग देयताएं (i) भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक तथा तदनुरूपी नये बैंकों के चालू खातों में शेष (ii) अन्य मांग देयताएं (ख) मीयादी देयताएं 1 का जोड़			
II. भारत में अन्यों के प्रति देयताएं (रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक तथा भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से लिये गये उधारों को छोड़कर) (क) मांग देयताएं (ख) मीयादी देयताएं			

II का जोड़ III. हाथ में नकदी IV. रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष V. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां (क) निम्नलिखित के पास चालू खाते में शेष (i) भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक तथा तदनुरूपी नये बैंक (ii) अन्य बैंक तथा अधिसूचित वित्तीय संस्थाएं (ख) बैंकों तथा अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं में अन्य खातों में शेष (ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (घ) बैंकों को अग्रिम (अर्थात् बैंकों से प्राप्य राशियां) (ङ) अन्य आस्तियां V का जोड़ VI. चालू खातों में निवल शेष = V(क) (i) - 1(क) (i) VII. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 तथा 24 के प्रयोजन के लिए निवल देयताएं = बैंकिंग प्रणाली के प्रति निवल देयताएं + अन्य मांग तथा मीयादी देयताएं = यदि (I-V) धनात्मक आंकड़ा है तो (I-V) + II अथवा यदि (I-V) <u>ऋणात्मक</u> आंकड़ा है तो केवल II <u>भाग - ख</u> (केवल गैर-अनुसूचित बैंकों के लिए)	
VIII. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के अंतर्गत आरक्षित नकदी निधि की जितनी न्यूनतम राशि रखनी अपेक्षित है (दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार VII का 3 प्रतिशत) IX. वास्तव में रखी गयी आरक्षित नकदी निधि = III, IV तथा VI का जोड़ X. IX में VIII से अधिक राशि	
भाग - ग	
XI. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत रखी जाने वाली अपेक्षित आस्तियों की न्यूनतम राशि (दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार VII का 25 प्रतिशत अथवा अन्य निर्धारित प्रतिशत) XII. (क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित बैंक द्वारा रखा जाने वाला अपेक्षित शेष (ख) अनुसूचित बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक में वास्तव	

में रखा गया शेष	
(ग) (ख) में (क) से अतिरिक्त राशि XIII. वास्तव में रखी आस्तियां (क) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11(2) के अंतर्गत भारत के बाहर निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक में जमा की गयी नकद राशि (ख) हाथ में नकद राशि अथवा गैर-अनुसूचित बैंक के मामले में, उपर्युक्त X के समक्ष दर्शाई गई (IX) में (VIII) से अधिक राशि यदि कोई हो (ग) उपर्युक्त XII(ग) के समक्ष दर्शाई गई रिज़र्व बैंक के पास अतिरिक्त शेष राशि यदि हो (घ) अनुसूचित बैंक द्वारा चालू खाते में रखा निवल शेष = उपर्युक्त VI	
(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अपने प्रायोजक बैंक के पास मांग अथवा मीयादी जमाराशियों में रखा शेष (च) वर्तमान बाज़ार मूल्य से अनधिक मूल्य पर मूल्यांकित स्वर्ण (छ) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन की पद्धति के आधार पर मूल्यांकित भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियां (ज) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(2) के अंतर्गत भारत के बाहर निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक में जमा की गयी रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के आधार पर मूल्यांकित अनुमोदित प्रतिभूतियां (क) से (ज) तक का जोड़ XIV XIII - XI (अतिरिक्त +, कमी -)	

दिनांक
हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस विवरणी के प्रयोजन के लिए `बैंकिंग प्रणाली' शब्द का अर्थ होगा भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक, तदनुरूपी नए बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य बैंकिंग कंपनियां, सहकारी बैंक तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थाएं

@ तारीखें दें (जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अंतर्गत शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश है वहां पूर्ववर्ती कार्य दिवस की तारीख दें)